कार्यालय जिलाधिकारी, गोण्डा

संख्याः 727 /आ0लि0(निर्देश)/2016 दिनांकःअप्रैल 19, 2016

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गोण्डा।

तापमान में अचानक वृद्धि हो जाने के कारण पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा–8 तक के सभी विद्यालयों जैसे नर्सरी, सी0बी0एस0सी0 और आई0सी0एस0सी0 व परिषदीय सरकारी एवं निजी स्कूलों के खुलने की अवधि प्रातः से अधिकतम 12.30 बजे मध्यान्ह तक निर्धारित की जाती है। बच्चों को होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए विद्यालय प्रबन्धक चाहें तो 12.30 बजे मध्यान्ह के पूर्व भी विद्यालय बन्द करने का निर्णय ले सकते हैं।

तदनुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि समयावधि का जनपद में अनुपालन सुनिश्चित करायें जिससे कम आयु के छात्रों को पड़ रही भीषण गर्मी में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

(आशुतोष निरंजन)
जिलाधिकारी,
गोण्डा

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1– पुलिस अधीक्षक, गोण्डा।
2– समस्त उप जिलाधिकारी जनपद गोण्डा।
3– उप निदेशक सूचना, गोण्डा को इस निर्देश के साथ कि इसका प्रचार–प्रसार दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से तत्काल कराना सुनिश्चित करे।
✓4– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, गोण्डा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को जनपद की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड कर दें।

जिलाधिकारी,
गोण्डा।